

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 287/2022

दायर दिनांक 12.07.2022

वादी

1. भूराराम पुत्र उमाराम
उम्र 56 वर्ष जाति
मेघवाल निवासी
मण्डूकरा, तहसील
डीडवाना जिला नागौर
राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. किसनाराम दत्तक पुत्र भोलाराम
जाति नायक निवासी बालिया
तहसील डीडवाना जिला नागौर
2. बाबुड़ा पुत्र जेठा जाति नायक
निवासी बालिया तहसील
डीडवाना जिला नागौर (फौत)
3. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री विक्रम कुडी वकील वादी।


--: निर्णय :-

दिनांक 30.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं० 150 रकबा 0.6000 हैक्टे० वाकै सरहद जानकीपुरा पटवार हल्का बालिया भू० अभि० नि० निम्बी कलां तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि खेत खसरा सं० 150 रकबा 0.6000 हैक्टे० भूमि में से 1/4 भाग भूमि वादी की खरीद सुदा खातेदारी सुदा भूमि है, उक्त खरीद सुदा जायगा वाद-पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसुची "अ" में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शित है। उक्त जायगा वादी ने पूर्व खातेदार जीवण पुत्र जेठा उर्फ सीतलनाथ से जरिये विक्रय विलेख दिनांक 25.06.2020 को उसका सम्पूर्ण हिस्सा खरीद कर उसका कब्जा प्राप्त किया था। खातेदार अनकी देवी का स्वर्गवास हो चुका है, उसके कोई जायन्दा पुत्र नहीं है जिस कारण से उसके दत्तक पुत्र प्रतिवादी सं० 01 को पक्षकार बनाया गया है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 खेत खसरा सं० 150 रकबा 0.6000 हैक्टे० भूमि पर मौखिक रूप से नजरी नक्शा अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, लेकिन बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं होने के कारण वादी अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवा कर अगल खातेदारी घोषित करवाना चाहता है, इसलिए वादी द्वारा यह बंटवारा का वाद पेश किया जा रहा है।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)




प्रार्थना वादी इस प्रकार है:-

यह है कि खेत खसरा सं० 150 रकबा 0.6000 हैक्टे० भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस किया जाकर वादी का 1/4 भाग भूमि नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए बी सी डी की खातेदारी अलग घोषित की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।


वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद जानकीपुरा पटवार हल्का बालिया भू० अभि० नि० निम्बी कलां तहसील डीडवाना में खेत खसरा सं० 150 रकबा 0.6000 हैक्टे० भूमि में वादी का 1/4 भाग भूमि नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए बी सी डी की खातेदारी अलग घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 287/2022

दायर दिनांक 12.07.2022

वादी	प्रतिवादीगण
1. भूराराम पुत्र उमाराम उम्र 56 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मण्डूकरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	1. किसनाराम दत्तक पुत्र भोलाराम जाति नायक निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर 2. बाबुड़ा पुत्र जेठा जाति नायक निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर (फौत) 3. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 30.09.2022


यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी
मिनजानिव मुद्दई श्री विक्रम कुड़ी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद जानकीपुरा पटवार हल्का
बालिया भू0 अभि0 नि0 निम्बी कलां तहसील डीडवाना में खेत खसरा सं0 150 रकबा 0.
6000 हैक्टे0 भूमि में वादी का 1/4 भाग भूमि नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए बी सी
डी की खातेदारी अलग घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।
डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुवलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसबव मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.09.2022 को सरे इजलास
में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाडीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)